न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 190/2020

1. बंशीलाल पुत्र तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1 मनोहर पुत्र तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।
2 श्यामलाल पुत्र तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।
3 रमेश पुत्र तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।
4 भरपाई पत्नी तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।
5 लिलावती पुत्री तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।
6 गुडडी पुत्री तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।
7 कमला पुत्री तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : **वादी**
वकील श्री सरजीत बिजारणियां : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 21.12.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गढडा के खसरा सं0 523/375 की 4.856है0, खसरा सं0 524/399 की 4.363है0 कुल 9.219है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 तेजाराम उर्फ राजाराम वल्द मनीराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में तेजाराम की जगह, राजाराम दर्ज होने से विरासतन इन्तकाल दर्ज नहीं हो पाया जबकि राजाराम व तेजाराम एक ही आदमी के दो नाम है। राजस्व रिकार्ड में राजाराम के नाम से दर्ज है जबकि देहान्त होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तेजाराम के नाम से है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही वनाए मुकदमा है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:30 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर ... प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील ... वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 8 को ... वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Scanned with CamScanner

रीतपुरा)

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु बंशीलाल पुत्र तेजाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गढडा के खाता सं0 149/152 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मोजा गढडा नामान्तरण सं0 58/77 प्रदर्श 2, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 3ए है। बिजली बिल प्रदर्श 4ए, परिवार राशन कार्ड चित्रप्रति प्रदर्श 5ए, मृत्यू प्रमाण पत्र तेजाराम चित्रप्रति प्रदर्श 6ए, चित्रप्रति दस्तबरदारी प्रदर्श 7ए प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के पिता राजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम गढडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। रोही मौजा गढडा के खसरा सं0 523/375 की 4.856है0, खसरा सं0 524/399 की 4.363है0 कुल 9.219है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 तेजाराम उर्फ राजाराम वल्द मनीराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादीया सं0 4 ता 7 ने अपना हक हिस्सा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 14.07.2015 को वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 संयुक्त रूप बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढडा के खसरा सं0 523/375 की 4.856है0, खसरा सं0 524/399 की 4.363है0 कुल 9.219है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 तेजाराम उर्फ राजाराम वल्द मनीराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में राजाराम का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 4 ता 7 ने अपना हक हिस्सा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 14.07.2015 को वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी बंशीलाल व प्रतिवादी सं0 1 मनोहर, प्रतिवादी सं0 2 श्यामलाल, प्रतिवादी सं03 रमेश कुमार को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:30 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 190/2020

1. बंशीलाल पुत्र तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1 मनोहर पुत्र तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।

2 श्यामलाल पुत्र तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।

3 रमेश पुत्र तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।

4 मरपाई पत्नी तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।

5 लिलावती पुत्री तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।

6 गुड्डी पुत्री तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।

7 कमला पुत्री तेजाराम जाति यादव निवासी गढडा त0 भादरा।

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढडा के खसरा सं0 523/375 की 4.856है0, खसरा सं0 524/399 की 4.363है0 कुल 9.219है0 बारानी खातेदारी में तेजाराम उर्फ राजाराम वल्द मनीराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में तेजाराम उर्फ राजाराम का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 4 ता 7 ने अपना हक हिस्सा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 14.07.2015 को वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी बंशीलाल व प्रतिवादी सं0 1 मनोहर, प्रतिवादी सं0 2 श्यामलाल, प्रतिवादी सं03 रमेश कुमार को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:30 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner